

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :-प1(1)कार्मिक/निजी चिकि./31/2014/2663

दिनांक:- 8/11/14

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम व पता	दूरभाष/ मोबाईल नम्बर	मण्डल कार्मिको को देय छूट
1.	वर्टिगो एण्ड ईयर क्लिनिक (Vertigo and Ear Clinic), एस-271, महावीर नगर, जयपुर-302018।	0141-2552350, 2552311/ 7568965555	10 प्रतिशत रेट लिस्ट पर

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा संचालक मण्डल के अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

- 80 -
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता-मु0/1/II, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तिय सलाकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंताराज0आवा0मण्डल,
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त..... रा0आ0म0.....
5. आवासीय अभियंता, खण्ड.....रा0आ0म0.....
6. सम्बन्धित निजी चिकित्सालय-
7. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सचिव 8/11/14